

# कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

क्रमांक/रीडर/2024/152/2024

दिनांक- 09/04/2024

निमित्त-

तहसीलदार जहाजपुर

विषय- प्र.सं. 152 / 2024 अनवान खानसिंह पिता प्रभु दरोगा निवासी ऊंचा बजाम रणजीत पिता बजरंग लाल दरोगा निवासी ऊंचा, विनोद पिता कैलाश चंद्र बड़गोती खंडेलवाल निवासी ऊंचा, जयसिंह पिता मांगीलाल दरोगा निवासी ऊंचा, नंदकिशोर पिता मांगीलाल दरोगा निवासी ऊंचा, बलराज सिंह पिता मांगीलाल दरोगा निवासी ऊंचा, मदन सिंह पिता मांगीलाल दरोगा निवासी ऊंचा, रामगोपाल पिता मांगीलाल दरोगा निवासी ऊंचा, बहादुर पिता बजरंगलाल दरोगा निवासी ऊंचा की पत्थरगद्दी की पालना करने बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अनवान के प्रकरण में ग्राम ऊंचा प.ह. ऊंचा आराजी सं. 823/4, 827/3 कुल किता 02 रकबा 0.2186 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगद्दी करने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगद्दी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगद्दी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड (शाहपुरा)  
जहाजपुरा जिला शाहपुरा

# फर्द अहकाम

(गिगम 20)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

खानसिंह पिता प्रभु दरोगा निवासी ऊंचा

बनाम

रणजीत पिता बजरंग लाल दरोगा निवासी ऊंचा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा, पत्र 111,128 एल.आर.ए.

मुकदमा नंबर 152/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नंबर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तारीख में जारी हुए
09-04-24	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ   प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया   प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में मैं ग्राम ऊंचा_प.ह. ऊंचा_आराजी सं. 823/4, 827/3 कुल किता 02 रकबा 0.2186 हेक्टेयर भूमि स्थित है   अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पड़ोसी है   अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढ़ी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान किये जावें   प्रार्थना पत्र की तारीख में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है  </p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी   पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमावंदी संवत 2074 से 2077 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढ़ी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है   प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढ़ी किया जाना उचित समझता है ग्राम ऊंचा_प.ह. ऊंचा_आराजी सं. 823/4, 827/3 कुल किता 02 रकबा 0.2186 हेक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक अमरवासी को कमीशनर नियुक्त किया जाता है   कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे   पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावें   पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावें   तहसीलदार जहाजपुर को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस / समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढ़ी के आदेश दिये जाते हैं   पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें  </p> <p>आदेश आज दिनांक 09/04/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया  </p>	

उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
जहाजपुर (शाहपुरा)